न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी,एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 176/2021

GCMS NO. : 2021/339

–: प्रार्थीगणः–	बनाम	–: अप्रार्थी :–
1. हरिकिशन पटेल पुत्र लाबुराम जाति कुमावत निवासी बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली।		1. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण जिला–पाली

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू:. 14/10/2021

उपस्थितः– 1. श्री किशोर कुमावत व समीर ख़ान्, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 30/08/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि सरहद मौजा बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में खसरा संख्या 2181 रकबा 0.9389 हैक्टर, खसरा संख्या 2183 रकबा 0.5018 हैक्टर, खसरा सख्या 2184 रकबा 0.0324 हैक्टर, खसरा संख्या 2187 रकबा 17.2234 हैक्टर कुल खसरा संख्या 4 कुल रकबा 8.6965 हैक्टर व खसरा संख्या 2180 रकबा 1.6026 हैक्टर, खसरा संख्या 2182 रकबा 3.0109 हैक्टर कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 4.6135 हैक्टर, खसरा संख्या 1169 रकबा 6.8392 हैक्टर, खसरा संख्या 880 रकबा 1.0441 हैक्टर, खसरा संख्या 881 रकबा 2.7842 हैक्टर, खसरा संख्या 926 रकबा 0.2509 हैक्टर, खसरा संख्या 924 रकबा 0.8256 हैक्टर, खसरा संख्या 925 रकबा 0.0486 हैक्टर, खसरा संख्या 927 रकबा 0.6232 हैक्टर, खसरा संख्या 927/1 रकबा 0.0324 हैक्टर, खसरा संख्या 928 रकबा 0.4856 हैक्टर, खसरा संख्या 228/1 रकबा 0.0162 हैक्टर, खसरा संख्या 929 रकबा 0.5989 हैक्टर, खसरा संख्या 929/1 रकबा 0.0243 हैक्टर, खसरा संख्या 930 रकबा 2.0477 हेक्टर, खसरा संख्या 931 रकबा 0.5827 हैक्टर, खसरा संख्या 931/1 रकबा 0.0243 हैक्टर, खसरा संख्या 932 रकबा 1.3193 हैक्टर, खसरा संख्या 932/1 रकबा 0.0324 हैक्टर की आई हुई है। जिसमें राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार प्रार्थी मौके पर अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। नकल जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है। जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग माना जावे। प्रार्थी का सही नमा हरीकिशन पटेल है जो प्रार्थी के भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, आधार कार्ड, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड व अन्य समस्त सरकारी, अर्द्धसरकारी दस्तावेजात् में दर्ज है इनकी फोटो प्रतियां प्रार्थनापत्र के साथ में पेश है। प्रार्थी के पिता लाबुराम फौत होने पर प्रार्थी के नाम नामान्तरण भरते समय प्रार्थी का नाम हरीकिशन पटेल दर्ज नही कर घरेलू एवं बोलचाल का नाम हरदीन दर्ज

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

र दिया जबकि प्रार्थी का सही व दस्तावेजी नाम हरीकिशन पटेल है। इसलिए प्रार्थी ा नाम उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में हरदीन के स्थान पर हरीकिशन पटले ंशोधित कर दर्ज किया जाना आवश्यक है। हरदीन प्रार्थी का नाम घरेलू एवं बोलचाल ा है जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है क्योकि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी । नामान्तरण में गलत नाम हरदीन रह जाने से कठिनाई होगी व कानूनी पेचीदगिया उत्पन्न हो जायेगी ऐसी परिस्थिति में यह कार्यवाही प्रार्थी के घरेलू एवं बोलचाल का नाम हरदीन को दुरूस्त कर सही एवं दस्तावेजी नाम हरीकिशन दर्ज करने के आदेश दिलावे। राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 28 सितम्बर 2021 को प्रथम बार लेने पर प्रार्थी को जानकारी में आया कि उसका घरेलू एवं बोलचाल का नाम हरदीन राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया, जो ऐसी रेकर्ड की दुरूस्ती लिपिकीय त्रुटि होने के कारण कानूनन किसी भी समय ध्यान में आने पर धारा 136 आर एल आर एक्ट के तहत श्रीमान को रेकर्ड दुरूस्ती का अधिकार है। प्रार्थी अपने नाम दुरूस्ती करने हेतू तहसीलदार जी से दिनांक 05.10.2021 को निवेदन किया परन्तु वह इंकार हो गये तथा बताया कि सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करे इसलिए यह कार्यवाही श्रीमान के समक्ष पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस् वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा पेश कर कथन किया कि भू अभिलेख निरीक्षक आनन्दपुर कालू की मौका जांच अनुसार ग्राम बलून्दा की वर्तमान जमाबंदी के खसरा संख्या 2180 से 2184, 2187, 1169, 924 से 932, 927/1, 928/1, 929/1, 931/1, 932/1 में वादी का नाम पिता की मृत्यु के पश्चात नामान्तरण क़े ज़रिए राजस्व रेकर्ड में हरदीन पुत्र लाबूराम दर्ज हुआ। हरिकिशन को घरेलू बोलचाल की भाषा में हरदीन नाम से पुकारते थे। हरदीन पुत्र लाबूराम एवं हरिकिशन पुत्र लाबूराम एक ही व्यक्ति है। ग्राम बलून्दा के खसरा संख्या 880 व 881 प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि है जिसमें भी प्रार्थी का नाम हरदीनराम पुत्र लाबूराम दर्ज है। बहस सरकारी पैरोकार एवं वकील प्रार्थी की सुनी गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

1. प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील जैतारण ग्राम बलून्दा में स्थित आराजी खसरा संख्या 2181 रकबा 0.9389 हैक्टर, खसरा संख्या 2183 रकबा 0.5018 हैक्टर, खसरा सख्या 2184 रकबा 0.0324 हैक्टर, खसरा संख्या 2187 रकबा 17.2234 हैक्टर कुल खसरा संख्या 4 कुल रकबा 8.6965 हैक्टर व खसरा संख्या 2180 रकबा 1.6026 हैक्टर, खसरा संख्या 2182 रकबा 3.0109 हैक्टर कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 4.6135 हैक्टर, खसरा संख्या 1169 रकबा 6.8392 हैक्टर, खसरा संख्या 880 रकबा 1.0441 हैक्टर, खसरा संख्या 881 रकबा 2.7842 हैक्टर, खसरा संख्या 926 रकबा 0.2509 हैक्टर, खसरा संख्या 924 रकबा 0.8256 हैक्टर, खसरा संख्या 925 रकबा 0.0486 हैक्टर, खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

927 रकबा 0.6232 हैक्टर, खसरा संख्या 927/1 रकबा 0.0324 हैक्टर, खसरा संख्या 928 रकबा 0.4856 हैक्टर, खसरा संख्या 228/1 रकबा 0.0162 हैक्टर, खसरा संख्या 929 रकबा 0.5989 हैक्टर, खसरा संख्या 929/1 रकबा 0.0243 हैक्टर, खसरा संख्या 930 रकबा 2.0477 हैक्टर, खसरा संख्या 931 रकबा 0.5827 हैक्टर, खसरा संख्या 931/1 रकबा 0.0243 हैक्टर, खसरा संख्या 932 रकबा 1.3193 हैक्टर, खसरा संख्या 932/1 रकबा 0.0324 हैक्टर जिसमें प्रार्थी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थी पिता की मृत्यु उपरांत फौतदेगी नामान्तरण संख्या स्वीकृत करते समय सहवन से घर में बोलचाल की भाषा में प्रयोग किये जाने वाले प्रार्थी हरिकिशन का नाम हरदीन दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम हरीकिशन है। अतः प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड के त्रुटिपूर्ण नाम दुरुस्त करवाने का आदेश प्रदान करावें।

2. अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने तथ्यात्मक एवं जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम बलून्दा के खसरा नम्बर 2181, 2183, 2184, 2187, 2180, 2182, 1169, 880, 881, 926, 924, 925, 927, 927/1, 928, 228/1, 929, 929/1, 930, 931, 931/1, 932, 932/1 के खातेदार लाबूराम के फौत होने पर जरिये फौतदेगी नामान्तरण से उनके वारिसान के रुप में मदन, हरदीन का नाम दर्ज किया गया। भू अभि. नि. आनन्दपुर कालू द्वारा की गई जांच एवं फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार हरिकिशन को घरेलू बोलचाल की भाषा में हरदीन नाम से पुकारते थे। हरदीन पुत्र लाबूराम एवं हरिकिशन पुत्र लाबूराम एक ही व्यक्ति है। ग्राम बलून्दा के खसरा संख्या 880 व 881 प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि है जिसमें भी प्रार्थी का नाम हरदीनराम पुत्र लाबूराम दर्ज है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात ग्राम बलून्दा तहसील जैतारण की चालू जमाबंदी के अनुसार खसरा संख्या 2181, 2183, 2184, 2187, 2180, 2182, 1169, 880, 881, 926, 924, 925, 927, 927/1, 928, 228/1, 929, 929/1, 930, 931, 931/1, 932, 932/1 में हरदीनराम/हरदीन पुत्र लाबू बतौर खातेदार दर्ज है। ग्राम बलून्दा का परिवार राशन कार्ड संख्या 200003132767 में हरिकिशन पुत्र लाबुराम पटेल निवासी बेरा कंटालिया बलून्दा दर्ज है। वही आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड में हरिकिशन पटेल पुत्र लाबुराम पटेल एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र में हरिकिशन पटेल पुत्र लाबुराम पटेल निवासी बेरा कंटालिया बलून्दा दर्ज है। वादग्रस्त आराजी पूर्व में लाबू पुत्र रावत की सहखातेदारी में दर्ज है। लाबू के फौत होने पर नामान्तरण संख्या 858 द्वारा बतौर वारिसान मदन, हरदीन पि. लाबू का इन्द्राज किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार हरिकिशन पटेल एवं हरदीनराम दोनो एक ही व्यक्ति है तथा जो कि वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार लाबूराम का पुत्र है। अतः उपलब्ध दस्तावेजात् एवं प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र पर प्रस्तुत कथनो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में बतौर सहखातेदार दर्ज हरदीन/हरदीनराम पुत्र लाबू के स्थान पर हरदीनराम उर्फ

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

रिकिशन पटेल पुत्र लाबूराम दर्ज किया जाकर शेष प्रविष्ठियो को यथावत् रखते हुए भू अभिलेख को अद्यतन एवं परिशुद्ध किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण जिला पाली की सीमा में ख्खसरा संख्या 2181 रकबा 0.9389 हैक्टर, खसरा संख्या 2183 रकबा 0.5018 हैक्टर, खसरा सख्या 2184 रकबा 0.0324 हैक्टर, खसरा संख्या 2187 रकबा 17.2234 हैक्टर कुल खसरा संख्या 4 कुल रकबा 8.6965 हैक्टर व खसरा संख्या 2180 रकबा 1.6026 हैक्टर, खसरा संख्या 2182 रकबा 3.0109 हैक्टर कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 4.6135 हैक्टर, खसरा संख्या 1169 रकबा 6.8392 हैक्टर, खसरा संख्या 880 रकबा 1.0441 हैक्टर, खसरा संख्या 881 रकबा 2.7842 हैक्टर, खसरा संख्या 926 रकबा 0.2509 हैक्टर, खसरा संख्या 924 रकबा 0.8256 हैक्टर, खसरा संख्या 925 रकबा 0.0486 हैक्टर, खसरा संख्या 927 रकबा 0.6232 हैक्टर, खसरा संख्या 927/1 रकबा 0.0324 हैक्टर, खसरा संख्या 928 रकबा 0.4856 हैक्टर, खसरा संख्या 228/1 रकबा 0.0162 हैक्टर, खसरा संख्या 929 रकबा 0.5989 हैक्टर, खसरा संख्या 929/1 रकबा 0. 0243 हैक्टर, खसरा संख्या 930 रकबा 2.0477 हेक्टर, खसरा संख्या 931 रकबा 0.5827 हैक्टर, खसरा संख्या 931/1 रकबा 0.0243 हैक्टर, खसरा संख्या 932 रकबा 1.3193 हैक्टर, खसरा संख्या 932/1 रकबा 0.0324 हैक्टर की कृषि भूमि के भू अभिलेख में प्रार्थी के नाम की दर्ज त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि ***''हरदीनराम/हरदीन पुत्र लाबू''*** को विलोपित करते हुये हरदीनराम/हरदीन पुत्र लाबू के स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम **''हरदीनराम उर्फ हरिकिशन पटेल पुत्र लाबूराम''** दर्ज करते हुये भू अभिलेख में अद्यतन एवं परिशुद्ध किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक इन्द्राजात् करते हुये भू अभिलेख को अद्यतन एवं परिशुद्ध करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
उपखण्ड अधिकारी एवं
भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक **30/08/2022** को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
उपखण्ड अधिकारी एवं
भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)